

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं0 13/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर

नई दिल्ली, तारीख 30 जून, 2017

9 आषाढ़, शक 1939

सा.का.नि. (अ)— केंद्रीय सरकार, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (दादरा और नागर हवेली) नियम, 2017 के नियम 46 के पहले परंतुक के अनुसरण में माल और सेवा कर परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचित करती है कि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका वार्षिक आवर्त नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथा विनिर्दिष्ट है, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट नाम पद्धति की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली कोड के अंकों का वर्णन, उक्त अधिसूचना के अधीन जारी कर-बीजक में करेगा ।

सारणी

क्रम सं0	आवर्त	नाम पद्धति की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली कोड के अंकों की संख्या
(1)	(2)	(3)
1.	एक करोड़ पचास लाख रुपए से कम	कुछ नहीं
2.	एक करोड़ पचास लाख रुपए से अधिक किंतु पांच करोड़ रुपए से कम	2
3.	पांच करोड़ रुपए और उससे अधिक	4

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं. एस-31011/25/2017-एसटी-1-डीओआर]

(एस.आर.मीना)
अवर सचिव, भारत सरकार